मणिपुर जा रहा है और अगर वह प्रतिनिधि-मंडल वहां से लौटने के बाद यह रिपोर्ट देता है कि मणिपुर को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाय तो क्या आप इस सत्र में यह ऐलान करेंगे कि मणिपुर के लोगों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य की हिन्दी चूंकि मातृभाषा नहीं है इस लिये स्वतंत्र राज्य से सम्भवतः उन का मतलब इंडिपेन्डेंट स्टेट से नहीं है । मणिपुर को पूरे राज्य का दर्जा देने से आप का मतलब है?

श्री रवि राय : जी हां, पूर्ण राज्य का दर्जा देने से ही मेरा मतलब है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारी मूल नीति है वह मैं ने समझा दी है कि मूल रूप से इस प्रश्न का, इन मामले का हम विरोध नहीं करते हैं । हम ने स्वीकार किया है कि ....

श्री रवि राय : चार साल बीत चुके हैं इस मांग को करते करते, जब आप स्वीकार करते हैं तो उस को पूरे राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जिस तरह की परिस्थितियां एक पृथक और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं जब उन का निर्माण वहां हो जायगा तो इसे हम तुरन्त ही वहां पूरे राज्य का दर्जा दे देंगे । और इस में कोई शक नहीं है कि हम लोग इस बात को चाहते हैं कि जितनी भी केन्द्र शासित इस तरह की टेरीटरीज हैं उन में जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति पैदा हो कि जिस से वह अपना पूरे राज्य का दर्जा प्राप्त कर सके । हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है और जल्दी ही हम उस को पूरे राज्य का दर्जा देने में सफल हो पायेंगे । उसी तरह से हम चाहते हैं कि मणिपुर का भी हो जाय । लेकिन जब तक वैसी परिस्थिति नहीं होगी तब तक मैं कोई भी आश्वासन यहां नहीं दे सकता कि उन को पूरे राज्य का दर्जा दे दिया जायगा । मैं चाहता हूं कि वहां की जनता हम से सहयोग करे ताकि हम जल्दी से जल्दी इस बात को कर सकें ।

श्री रवि राय : जब पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं है और यह केन्द्र शासित इलाका है, तो फिर यह कानून वहां कैसे लागू रहेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं ने बता दिया है ।

श्री मधु लिमये : जो आप सीधे ढंग से नहीं कर सकते हैं वह अप्रत्यक्ष ढंग से कर रहे हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रत्यक्ष ढंग से कर रहे हैं ।

12.17 Hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT OF ENQUIRY (COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH) AND ANNUAL ACCOUNTS OF U.G.C., 1968-69

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN): On behalf of Dr. V. K. R. V. Rao I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Report (Hindi version) of Committee of Enquiry (Council of Scientific and Industrial Research)-Part I. [*Placed in Libarary see* No. LT-3435/70].

(2) A copy of the Annual Accounts of the University Grants Commission for the year 1968-69 together with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 19 of the University Grants Commission Act, 1956. [*Placed in Libraray see* No. LT-3436/70].

12.18 Hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :—

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herwith the Appropriation (No. 2) Bill

1970, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th April, 1970, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12·19 Hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 11th May, 1970, will consist of :—

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from to-days' Order Paper.

(2) Consideration and passing of the University Grants Commission (Amendment) Bill, 1968, as passed by Rajya Sabha and discussion on the Report of the University garnts Commission for 1965-66, 1966-67 and 1967-68 on a motion to be moved by the Minister of Education and Youth Services.

(3) Discussion on the Report (Part I) of Committee of Enquiry (Council of Scientific and Industrial Research) on a motion to be moved by the Minister of Education and Youth Services.

(4) Consideration and passing of the Patents Bill, 1967, as reported by the Joint Committee.

(5) Consideration of a Motion for modification of Foreign Exchange Regulation (Publication of Name) Rules, 1970 by Shri Srinibas Mishra at 5 p.m. on Monday, the 11th May, 1970.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : On the 11th, Shri Srinibas Mishra will not be here.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, चौथी पंचवर्षीय योजना पर बहस होगी, और उस के लिये तीन घंटे भी निर्धारित कर दिये गये थे। लेकिन बुलेटिन में इस का कोई जिक्र नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस पर बहस होगी कि नहीं ? क्यों कि सेशन समाप्त होने में अब बहुत कम समय रह गया है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं। सरकार के द्वारा जिस कार्यक्रम की घोषणा की गयी है, मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जो स्पैशल मैरिजेज बिल है, जिस के बारे में आप को भी मैंने लिखा था, प्रधान मंत्री जी को भी लिखा था और प्रधान मंत्री जी ने मुझे लिखित आश्वासन दिया था कि यह बात सही है कि पार्लियामेंट जितना ध्यान उसे सामाजिक कानूनों की ओर देना चाहिए वह नहीं दे रही है। उन्होंने कहा था कि उस कार्य को इस बजट सत्र में प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन यह बजट सत्र खत्म होने जा रहा है। आप ने अगले सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा की है लेकिन उस में स्पैशल मैरिज बिल का कोई जिक्र नहीं है।

दूसरी बात यह है कि दिन प्रतिदिन विधान सभाओं के सत्रों के बीच में अन्तर बढ़ता जा रहा है। उन की बैठकों के दिन कम होते चले जा रहे हैं और जो निर्धारित तिथि है उस के पहले ही उन को ऐडजोर्न कर दिया जाता है। केरल में भी किया गया और गुजरात में भी किया गया। इस के बारे में मैंने एक प्रस्ताव दिया था तो उस को चर्चा के लिए क्यों नहीं लिया जा रहा है ? यह सारे मामलात अदालत में जा रहे हैं। अच्छा तो यह होगा कि हमारी यह राष्ट्रीय पंचायत है हमें इस के ऊपर बहस करने का मौका दिया जाय। इसलिए सरकार मेरे इस प्रस्ताव पर विचार के लिए भी कुछ समय इसी बजट सत्र के दौरान निकाल ले।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I want to raise three small points.

We want a discussion next week because Parliament is coming to an end.

AN HON. MEMBER : How is Parliament coming to an end ?